राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या–01/2023

भाखर राम

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए, प्रमुख शासन सचिव, शासन, माध्यमिक शिक्षा सचिवालय राजस्थान जयपुर।
निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
निदेशक प्राथमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा जोधपुर।
जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा जैसलमेर।

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.01.2023
आदेश की दिनांक : 16.01.2023

समक्ष : शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान् अभिभाषक श्री हितेश विश्नोई एवं प्रत्यर्थीगण की ओर से श्री यशवंत मेहता राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
2. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
3. अपीलार्थी के विद्वान् अभिभाषक ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर शिक्षा विभाग में आदेश दिनांक 28.01.1992 को राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के तहत हुई थी और उसे अध्यापक ग्रेड–III के पद पर आदेश दिनांक 15.10.1997 को समायोजित किया गया। उनका कथन है कि उसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वेतनमान 4500–7000 (9ए) नहीं दिया गया जबकि वह अध्यापक ग्रेड–III के पद पर कार्य कर रहा है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 24588/2003 हरफुल सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.07.2009 तथा डीबी रेश्टोरेशन संख्या 219/2019 राज्य व अन्य बनाम हरफुल सिंह व अन्य में अन्तिम रूप से आदेश पारित कर निर्णय दिया जा चुका है। इस प्रकार अपीलार्थी भी अध्यापक ग्रेड–III के वेतनमान पाने का अधिकारी है। जबकि अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभा नहीं दिया गया और अपीलार्थी 27 वर्षीय सेवा पुर्ण कर चुका है। अधिकरण द्वारा भी इस तरह के कई मामलों में आदेश पारित किया जा चुका है। जो अनुलग्नक–4 से प्रकट होता है। अपीलार्थी ने इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किये परन्तु उनका कोई निराकरण नहीं किया गया। अतः अपील अपीलार्थी

स्वीकार फरमाई जावें और प्रत्यर्थी विभाग को निदेश दिये जावे की अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–III का वेतन मान 4500–7000 (9ए) के सभी पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें और सभी वेतन निर्धारण एवं वेतन वृद्धि के लाभ तथा 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ भी दिये जाने का आदेश फरमाया जावें।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत ना करते हुए मौखिक रूप से बहस की है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई थी और उसे अध्यापक–ग्रेड–III के पद पर समायोजित किया जा चुका है और उसे 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है। इस प्रकार अपीलार्थी का कोई लाभ शेष नहीं रह जाता है। अतः अपील निरस्त फरमाई जावे।
5. हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजो का अनुशीलन कर मनन किया।
6. प्रकरण के तथ्यों अभिलेख एवं अभिवचनों से यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई थी। जिसकी वेतन श्रृखंला 950–1680 अध्यापक ग्रेड–III के समकक्ष थी। राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 24.07.1997 एवं 27.08.1997 के द्वारा अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को अध्यापक ग्रेड–III के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया। वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि दिनांक 01.07.2013 से अध्यापक से पद पर प्रथम नियुक्ति के समय ग्रेड–पे 3600 होति है तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एसीपी की ग्रेड–पे क्रमशः 4200,4800 एवं 5400 रूपये है। यह विभिन्न न्यायिक विनिश्चियों में अभिनिर्धारित किया गया है कि एक पद के दो वेतन नहीं हो सकते अर्थात समान पद समान वेतन का सिद्धांत लागू होता हैं। अपीलार्थी प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियमित नियुक्ति प्रक्रिया सं चयनित होकर अधिशेष होने पर अध्यापक ग्रेड–III में समायोजित किये गए है। अतः प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक के पद पर समायोंजित कार्मिक नियमानुसार अध्यापक के पद के चयनित वेतनमान/एसीपी प्राप्त करने का अधिकारी है।
7. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार अपीलार्थी को देय होने की स्थिति में (अध्यापक ग्रेड–III को देय अनुसार) चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ देकर नियमानुसार किये जाने की कार्यवाई की जावें। उक्त निर्देश की पालना प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस आदेश की सत्यप्रति प्रस्तुत करने के तीन माह की अवधि में किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य